RB/Estt.No. 97 /2004

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

No. E(D&A) 2003 RG-6/15 New Delhi dated 7.5.2004

The General Manager (P)
All Zonal Railways/PUs etc.

Sub: Promotion of Railway servants against whom disciplinary proceedings have been initiated – procedure to be followed.

Attention is invited to para 6 of Board's letter No.E(D&A)92 RG6-149(B) dt: 21.1.93 which provides as follows :-

"A Government Servant, who is recommended for promotion by the Departmental Promotion Committee but in whose case any of the circumstances mentioned in para 2 above arise after the recommendations of the DPC are received but before he is actually promoted, will be considered as if his case had been placed in a Sealed Cover by the Departmental Promotion Committee. He shall not be promoted until the conclusion of disciplinary case/criminal proceedings and the provisions contained in this letter will be applicable in his case also."

Similar provisions are contained in para 3.1 of Board's letter No.E(D&A)92/RG6-149(A) dated 21.1.93 also, which are applicable to non-gazetted railway servants, with the exception that there will be no objection to promotion if the disciplinary proceedings initiated are for imposition of a minor penalty.

2. The above provisions envisage that if a disciplinary proceeding against a Railway servant on account of which the findings of the DPC in his case had been kept in a sealed cover, is finalised resulting in opening of sealed cover and grant of promotion but, before he is actually promoted, another disciplinary/judicial proceedings is initiated against him, then he shall not be promoted until the conclusion of the subsequent proceedings. In other words, the promotion of the railway servant would depend on the outcome of all such proceedings initiated before he is actually promoted.

3. The matter has been reviewed by the Board in the light of DOP&T's office Memorandum No. 22011/2/2002-Estt(A) dt:24.2.2003 (which is based on Hon'ble Supreme Court's judgement in the case of Delhi Jal Board v/s Mohinder Singh (JT 2000(10)SC 158) and it has been decided that where the second or subsequent proceedings were instituted after promotion of the junior to the Railway servant on the basis of recommendation made by the DPC which kept the recommendation in respect of the Railway servant in sealed cover, the benefit of assessment by the DPC will be admissible to the Railway servant on his exoneration in the first proceedings, w.e.f. the date his immediate junior was promoted.

(Contd..2/-)

3.1 In this connection, it is further clarified that in case the subsequent proceedings (commenced after the promotion of the junior) were finalised earlier i.e. before exoneration of the Railway servant in the first proceedings and resulted in imposition of any penalty and the Railway servant concerned is to be promoted retrospectively on the basis of exoneration in the first proceedings, the penalty imposed may be modified and effected with reference to the promoted post. An indication to this effect may be made in the promotion order itself so that there is no ambiguity in the matter.

4. Board have also decided that the benefit of promotion on conclusion of the first proceedings may be allowed in those cases also where ad-hoc promotion in terms of para-5 of Board's orders dt:21.1.93 referred to above had been given to the Railway servant during pendency of the disciplinary proceedings on account of delay in finalisation of these proceedings and , on conclusion of the proceedings with imposition of a minor penalty (other than withholding of promotion) the Railway servant is deemed to be regularly promoted from the date of ad-hoc promotion in terms of provisions contained in para 5.3 of Board's letter No.E(D&A)92/RG6-149(B) dated 21.1.93 and paras 5.3 and 5.4 of Board's letter No.E(D&A)92/RG6-149(A) dt:21.1.93, provided the date of ad-hoc promotion of the Railway servant is prior to the date on which the second proceedings were instituted against him.

5. Illustrations of the above decisions are contained in Annexure-I.

Please acknowledge receipt.

DA: Annexure-I.

(R.Vijayan Nair)
Deputy Director, Estt(D&A)
Railway Board

ANNEXURE-I

Illustrations

Date of issue of 1st chargesheet against 'A' : 1.1.1998

Date of DPC which considered, among others, 'A' and his Junior 'B' for promotion but kept findings (fit) in respect of 'A' in Sealed Cover. : 1.1.2000

Date of issue of 2nd chargesheet against 'A' : 1.3.2002

(i) Date of promotion of Junior 'B' : 1.1.2002

Date of exoneration of 'A' in the 1st disciplinary proceedings : 1.6.2003

Date of effect of promotion of 'A' : 1.1.2002 (w.e.f. date of promotion of Junior 'B')

Note: (a) 2nd chargesheet dated 1.3.2002 does not come in the way of promotion of 'A' as it was issued after the date of promotion of junior.

(b) Promotion w.e.f. 1.1.2002 can be given to 'A' even if the 2nd chargesheet dated 1.3.2002 had already been finalized and a penalty imposed, say on 1.9.2002. The penalty is to be modified, if necessary, and effected w.r.t. the promoted post.

(ii) Date of promotion of Junior 'B' : 1.6.2002

Date of exoneration of 'A' in 1st disciplinary proceedings. : 1.6.2003

'A' cannot be promoted following the exoneration, as the 2nd chargesheet was issued prior to the date of promotion of Junior 'B'.

(iii) Date of imposition of minor penalty of censure in 1st disciplinary proceedings. : 1.6.2003

Promotion, if otherwise admissible in terms of para 3.2 of Board's letter No.E(D&A)92 RG 6-149(B) dated 21.1.1993, cannot be granted since such promotion can be granted only prospectively i.e. after 1.6.2003 and the 2nd chargesheet has already been issued before that date.

(Contd..2/-)

(iv) Date of ad-hoc promotion of 'A' in terms of para 5 of Board's letter No.E(D&A)92 RG 6-149(B) dated 21.1.1993, after completion of 2 years from the date of DPC. : 1.2.2002

Date of imposition of minor penalty of censure in 1st disciplinary proceedings. : 1.6.2003

Date of regularization of promotion in terms of para 5.3 of Board's letter dated 21.1.1993. : 1.2.2002

Note: (a) The second chargesheet dated 1.3.2002 will not come in the way of regularization of promotion as it was issued after the date from which ad-hoc promotion was granted.

(b) If the ad-hoc promotion had been granted to 'A' after the issue of 2nd chargesheet say on 1.9.2002, regularization of promotion following imposition of minor penalty in 1st pruceedings will not be admissible as the 2nd chargesheet was issued before the date of proposed regularization.

आर बी/इस्टे सं. 97/2004

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (डी एंड ए)2003/आर जी 6-15 नई दिल्ली, दिनांक : 7\5\2004

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें/
उत्पादन इकाइयां आदि.

विषय : उन रेल सेवकों की पदोन्नति जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई है - अनुसरण की जाने वाली कार्यविधि.

बोर्ड के 21.1.93 के पत्र सं. ई (डी एंड ए) 92आर जी 6-149 (बी)के पैरा 6 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित व्यवस्था की गई है:

"एक सरकारी सेवक, जिसकी पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सिफारिश की गई है, परंतु जिसके मामले में विभागीय पदोन्नति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद लेकिन उसे वास्तविक रूप से पदोन्नत करने से पूर्व उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसके मामले में उसी भांति विचार किया जाएगा मानो कि वह मामला विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मुहरबंद लिफाफे के अंदर रखा गया था. उसकी पदोन्नति तब तक नहीं की जाएगी जब तक उसके विरुद्ध अनुशासनिक मामला/आपराधिक कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती तथा इस पत्र में उल्लिखित प्रावधान उसके मामले में भी लागू होंगे."

इसी प्रकार के प्रावधान बोर्ड के 21.1.93 के पत्र सं. ई (डी एंड ए) 92/आर जी 6-149 (ए) में भी उल्लिखित हैं, जो अराजपत्रित रेल सेवकों पर इस अपवाद के साथ लागू होते हैं कि यदि छोटा दंड लगाने के लिए अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है तो पदोन्नति देने में कोई आपत्ति नहीं की जाएगी.

2. उपर्युक्त प्रावधानों में यह उल्लिखित है कि रेल सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई, जिस कारण उसके मामले में विभागीय पदोन्नति समिति के निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखे गए थे, के समाप्त होने के परिणामस्वरूप यदि मुहरबंद लिफाफों को खोल दिया जाता है तथा उसे पदोन्नति

--- 2-

दे दी जानी होती है, परंतु उसको वास्तविक रूप से पदोन्नत करने से पूर्व उसके विरुद्ध अन्य अनुशासनिक/न्यायिक कार्रवाई शुरू हो जाती है, तब उसे तब तक पदोन्नति नहीं दी जाएगी जब तक बाद की कार्यवाहियां समाप्त नहीं हो जाती. दूसरे शब्दों में, रेल सेवक की पदोन्नति उसके वास्तविक रूप से पदोन्नत होने से पूर्व उसके विरूद्ध शुरू की गई इन सभी कार्यवाहियों के निर्णयों पर निर्भर करेगी.

3. उपर्युक्त प्रावधानों की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 24.2.2003 के कार्यालय ज्ञापन सं. 22011/2/2002- इस्टे (ए) (जो दिल्ली जल बोर्ड बनाम मोहिन्दर सिंह (जे टी 2000 (10)एस सी 158) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आधारित है.) को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा समीक्षा की गई है तथा यह विनिश्चय किया गया है कि यदि रेल सेवक के विरूद्ध दूसरी या अनुवर्ती कार्यवाही, उसके कनिष्ठ की पदोन्नति, जोकि उस विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर की गई जिसने रेल सेवक के संबंध में अपनी सिफारिश मुहरबंद लिफाफे में रखी थी, के बाद प्रारंभ होती है तो रेल सेवक को विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश का लाभ अनुमेय होगा अगर वह प्रथम कार्यवाही में आरोप मुक्त हो जाता है. रेल सेवक को यह पदोन्नति उसके कनिष्ठ के पदोन्नति की तिथि के संदर्भ में दी जाएगी.

3.1 इस संदर्भ में, आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि बाद की कार्यवाही (कनिष्ठ के पदोन्नत हो जाने के बाद शुरू की गयी कार्यवाही) को पहले अंतिम रूप दे दिया जाता है अर्थात पहली कार्रवाई में रेल सेवक के आरोप मुक्त होने से पूर्व तथा बाद की कार्यवाही के परिणामस्वरूप उस पर कोई दंड लगा दिया जाता है परन्तु पहली कार्रवाई में आरोप मुक्त किए जाने के आधार पर संबंधित रेल सेवक को पूर्व व्यापी प्रभाव से पदोन्नत किया जाता है तो लगाए गए दण्ड को पदोन्नत पद के संदर्भ में आशोधित किया जाए तथा प्रभावी किया जाए. पदोन्नति आदेश में इस आशय का उल्लेख किया जाए ताकि मामले में कोई अस्पष्टता न बनी रहे.

4. बोर्ड ने यह भी विनिश्चय किया है कि पहली कार्यवाही के समाप्त हो जाने पर उन मामलों में भी पदोन्नति का लाभ दिया जाए जहां इन कार्यवाहियों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के कारण अनुशासनिक कार्यवाही के लंबित होने के दौरान रेलवे सेवक को बोर्ड के दिनांक 21.1.93 के उपरोक्त पत्र के पैरा 5 के अनुसार तदर्थ पदोन्नति दी गई थी तथा छोटा दंड लगा देने (पदोन्नति रोके रखने से इतर) से कार्यवाही समाप्त कर दिए जाने पर रेल सेवक को बोर्ड के 21.1.93 के पत्र सं. ई (डी एण्ड ए) /92/आर जी-6- 149 (बी) के पैरा 5.3 तथा बोर्ड के 21.1.93 के पत्र सं.ई(डी एण्ड ए)92/आर जी 6-149 (ए) के पैरा 5.3 तथा 5.4 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार तदर्थ पदोन्नति की तारीख से नियमित रूप से पदोन्नत माना जाता है, बशर्ते कि रेल सेवक की तदर्थ पदोन्नति की तारीख उस तारीख से पहले हो जिस तारीख को उसके विरुद्ध दूसरी कार्रवाई शुरू की गई थी.

...3

सं. ई (डी एंड ए)2003/आर जी 6-15 नई दिल्ली, दिनांक : 7\5\2004

प्रतिलिपि प्रेषित

1. महासचिव, ए आई आर एफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित) पी एन एम मीटिंग की मद संख्या 47/2003 के संदर्भ में.

2. महासचिव, एन एफ आई आर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य एवं सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली

4. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (6 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

5. महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (6 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

6. सचिव, आर बी एस एस ग्रुप 'ए' आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 506, रेलवे बोर्ड

7. मैसर्स बाहरी ब्रदर्स, 742, लाजपत राय मार्केट, दिल्ली-110006, पोस्ट बाक्स नं. 2032

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

5. अनुबंध I में उपर्युक्त निर्णयों की उदाहरण सहित व्याख्या की गई है.

कृपया पावती दें.

संलग्नक : अनुबंध I

(आर.विजयन नायर)
उप निदेशक, स्था (अनु. एवं अपील)
रेलवे बोर्ड.

सं. ई (डी एंड ए)2003/आर जी 6-15 नई दिल्ली, दिनांक : 7\5\2004

प्रतिलिपि प्रेषित

1. महासचिव, ए आई आर एफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित) पी एन एम मीटिंग की मद संख्या 47/2003 के संदर्भ में.

2. महासचिव, एन एफ आई आर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य एवं सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली

4. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (6 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

5. महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (6 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

6. सचिव, आर बी एस एस ग्रुप 'ए' आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 506, रेलवे बोर्ड

7. मैसर्स बाहरी ब्रदर्स, 742, लाजपत राय मार्केट, दिल्ली-110006, पोस्ट बाक्स नं. 2032

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

अनुबंध-I

उदाहरण सहित व्याख्या

'क' के विरुद्ध पहला आरोप-पत्र जारी करने की तारीख	:	1.1.1998
विभागीय पदोन्नति समिति की वह तारीख जब अन्यों के साथ 'क' तथा उसके कनिष्ठ 'ख' की पदोन्नति के लिए विचार किया गया था परन्तु 'क' के संबंध में निष्कर्षों (योग्य) को मुहरबंद लिफाफे में रखा गया था.	:	1.1.2000
'क' के विरुद्ध दूसरा आरोप-पत्र जारी करने की तारीख	:	1.3.2002
(i) कनिष्ठ 'ख' की पदोन्नति की तारीख	:	1.1.2002
पहली अनुशासनिक कार्यवाही में 'क' के आरोप मुक्त होने की तारीख	:	1.6.2003
'क' की पदोन्नति की तारीख	:	1.1.2002 (कनिष्ठ 'ख' की पदोन्नति की तारीख से प्रभावी)

नोटः (क) 1.3.2002 का दूसरा आरोप-पत्र 'क' की पदोन्नति में आड़े नहीं आता है, क्योंकि इसे कनिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति की तारीख के बाद जारी किया गया था.

(ख) 'क' को 1.1.2002 से पदोन्नति दी जा सकती है भले ही 1.3.2002 को जारी दूसरे आरोप-पत्र को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया था और दंड जैसे कि 1.9.2002 को आरोपित कर दिया गया था. यदि आवश्यक हो तो दण्ड को आशोधित किया जाए तथा पदोन्नत पद के संदर्भ में प्रभावी किया जाए.

(ii) कनिष्ठ 'ख' की पदोन्नति की तारीख	:	1.6.2002
पहली अनुशासनिक कार्यवाही में 'क' के आरोप मुक्त होने की तारीख	:	1.6.2003

आरोप मुक्त होने पर 'क' को पदोन्नत नहीं किया जा सकता, क्योंकि कनिष्ठ 'ख' की पदोन्नति की तारीख से पूर्व दूसरा आरोप-पत्र जारी कर दिया गया था.

(iii) पहली अनुशासनिक कार्यवाही में परिनिंदा का छोटा दंड लगाने की तारीख	:	1.6.2003

पदोन्नति, यदि बोर्ड के 21.1.1993 के पत्र सं. ई (डी एंड ए)92 आर जी 6-149 (बी) के पैरा 3.2 के अनुसार अन्यथा स्वीकार्य है तो नहीं दी जा सकती क्योंकि ऐसी पदोन्नति केवल भविष्यलक्षी प्रभाव से अर्थात् 1.6.2003 के बाद ही दी जा सकती है जबकि दूसरा आरोप-पत्र उस तारीख से पहले ही जारी किया जा चुका है.

(iv)	विभागीय पदोन्नति समिति की तारीख से 2 वर्ष के पूरे होने के बाद, बोर्ड के 21.1.1993 के पत्र सं. ई (डी एंड ए) 92आर जी 6-149 (बी) के पैरा 5 के अनुसार 'क' की तदर्थ पदोन्नति की तारीख :	1.2.2002
	पहली अनुशासनिक कार्यवाही में परिनिंदा का छोटा दंड लगाने की तारीख :	1.6.2003
	बोर्ड के 21.1.1993 के पैरा 5.3 के अनुसार पदोन्नति को विनियमित करने की तारीख :	1.2.2002

नोट : (क) 1.3.2002 का दूसरा आरोप-पत्र पदोन्नति को विनियमित करने में आड़े नहीं आएगा क्योंकि दूसरा आरोप-पत्र तदर्थ पदोन्नति दिए जाने की तारीख के बाद जारी किया गया था.

(ख) यदि दूसरा आरोप-पत्र जारी करने की तारीख के बाद उदाहरणार्थ 1.9.2002 को 'क' को तदर्थ पदोन्नति दी गई थी, तो पहली कार्यवाही में छोटा दंड लगा दिए जाने के कारण पदोन्नति को विनियमित नहीं किया जाएगा क्योंकि प्रस्तावित नियमितीकरण की तारीख से पहले दूसरा आरोप-पत्र जारी कर दिया गया था.